

19-4-2018 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के वकील एवं प्रार्थिया उपस्थित नहीं हैं। वकील अप्रार्थी उपस्थित है। कई बार आज्ञा दिलाने पर भी प्रार्थिया के वकील एवं स्वयं प्रार्थिया उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः र.प्र. प्राप्ति अदम हाजरी व अदम पैरवी में रकारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार होकर अम्बर से कम हो एवं बाद तक मील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
बंगलूर सिटी (स०या०)

B2

गुणगुण

गुणगुण